# न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री समदर सिंह भाटी आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :–98 / 2016

**वादीगण** **बनाम** **प्रतिवादीगण**

**वादीगण**

1. राऊ पुत्र मदरूपा
2. मोडा पुत्र मदरूपा कौम निवासी आमजर तहसील सिणधरी अभी हाल भुरटिया तहसील सिणधरी

**प्रतिवादीगण**

1. रूपाराम पुत्र जोधाराम
2. चुतराराम पुत्र जोधाराम
3. रामाराम पुत्र जोधाराम
4. सूराराम पुत्र जोधाराम
5. श्रीमति चम्पा पत्नि जोधाराम कौम जाट नि. आगमजर तहसील सिणधरी
6. मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा भूंका बगतसिंह
7. तहसीलदार सिणधरी

**राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,91,183188,40 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**उपस्थित–** श्री विष्णु चौधरी वकील वादीगण।
श्री मुकेश जैन वकील प्रतिवादी सं. 1 से 5
पैरोकार सरकार उप.। शेष एकतरफा।

## निर्णय

दिनांक– 26.11.2025

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2025.12.11 14:12:35 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है, कि आमजर [illegible] सिणधरी की खसरा संख्या 8 व 9 कुल रकबा 369–17 बीघा भूमि वक[illegible]बस्त वादीग[illegible] पिता मदरूपा एवं मंगला वल्द सालू की खातेदारी की थी। उक्त ख[illegible] के वारिस थे। साल[illegible] पुत्र– वादीगण के पितामह करना एवं मंगला उर्फ मगा थे। इस प्रकार उक्त वादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्सा वादीगण का एवं 1/2 हिस्सा मंगला का था। मंगला ने वादग्रस्त भूमि में अपना

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

1/2 हिस्सा होने के बावजूद खसरा संख्या 9 की समग्र 369–09 बीघा भूमि का बैचान प्रतिवादी सं. 1 से 5 के पिता–पति जोधाराम को कर दिया, जबकि उसे केवल 1/2 हिस्से का ही बेचान करने का अधिकार था। पुनः जोधाराम के फौत होने पर खसरा संख्या 9 की भूमि उसके वारिसान प्रतिवादी सं. 1 से 5 की खातेदारी में दर्ज कर दी गई। इस बीच खसरा संख्या 9 की भूमि के बीच अवस्थित खसरा संख्या 8 की भूमि पूर्ववत वादीगण एवं मंगला की खातेदारी मे यथावत रखी। अतः वादीगण ने वादग्रस्त भूमि में स्वयं को प्रतिवादी सं. 1 से 5 के साथ सहखातेदार घोषित करवाने, मंगलाराम द्वारा उनके 1/2 हिस्से की भूमि के किये गये बेचान को शून्य व निष्प्रभावी घोषित करवाने तथा अपने 1/2 हिस्से के कब्जाकाश्त में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किये जाने के आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है।

वाद पंजीयन कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी सं. 1 से 5 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के पिता मदरूपा फौत होने के बाद वादीगण के मंगलाराम के संरक्षण में रहने तथा मंगलाराम ने उनके हितों को दृष्टिगत रखते हुए खसरा संख्या 9 की समग्र भूमि का बैचान प्रतिवादी सं. 1 से 5 के पिता–पति को कर दिया। वक्त खरीद से वादग्रस्त भूमि पर वे काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि एवं खसरा संख्या 8 की भूमि पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा। मंगलाराम बेचानकर्ता की हैसियत से पक्षकार होने के बावजूद उसे वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है। इस प्रकार एडवर्स पजेशन के आधार पर भी प्रतिवादी सं. 1 से 5 वादग्रस्त भूमि के खातेदार बन चुके है। वादीगण की वाद में चाही गई इस्तदुआ Void नही होकर Voidable होने से प्रस्तुत वाद इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं होकर सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है। इस प्रकार पक्षकारों के असंयोजन व क्षेत्राधिकार विहीनता के आधार पर वाद चलने योग्य नहीं होने से वादीगण का वाद मय खर्चा खारिज किया जावे।

वादीगण के वाद एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के जवाब के आधार पर निम्नानुसार तनकियात कायम की गई।

1. आया वादीगण ग्राम आमजर तहसील शिणधरी खसरा संख्या 9 रकबा 369–09 बीघा भूमि का 1/2 हिस्सा पुश्तैनी हक एवं कब्जा काश्त का होने से उक्त 1/2 हिस्सा की भूमि अपनी खातेदारी मे घोषित करवाने के अधिकारी है?

जिम्मे–वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2025.12.11 14:12:35 IST
Reason: SelfAttested

2. आया वादीगण उक्त हिस्से की सीमा तक मंगला[illegible] पुत्र सालू द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पिता जोधा के [illegible] मे निष्पादित [illegible] दिनांक 18.11.1964 एवं उसके आधार पर बाद मे राजस्व [illegible] मे हुए समस्त परिवर्तनो को वादी शुन्य एवं निष्प्रभावी घोषित करवाने के अधिकारी है ?

जिम्मे वादीगण

सहायक कलेक्टर
SDO शिणधरी

3. आया वादीगण उक्त शुन्य बेचान के आधार पर प्रतिवादी स. 1 से 5 द्वारा वादीगण को उसके हिस्से के भु भाग से बेदखल किये जाने की सुरत मे वादीगण उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है?

**जिम्मे–वादीगण**

4. आया वादीगण प्रतिवादी सख्या 1 से 5 के विरूद्व अपने 1/2 हिस्से की भूमि के सबंध मे कब्जा काश्त में दखलदान्जी नहीं करने की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी हैं?

**जिम्मे–वादीगण**

5. आया वादीगण वक्त बेचान दिनांक 18.11.1964 को श्रीमति कौशलीदेवी के रूप में वादीगण की कुदरती वलिया माता मौजुद होने के कारण मंगला द्वारा वली की हैसियत से किया गया बेचान प्रारम्भ से शुन्य एवं निष्प्रभावी घोषित करवाने के अधिकारी है?

**जिम्मे–वादीगण**

6. (1) आया वादीगण का यह वाद म्याद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है?

**जिम्मे प्रतिवादी स.1 से 5**

(2) आया वाद वॉईड नही बल्कि वॉईडबल होने से राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं होकर दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है?

**जिम्मे प्रतिवादी स.1 से 5**

(3) आया वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा नहीं है। इस प्रकार बिना कब्जे की सहायता मांगे यह वाद चलने योग्य नहीं है।

**जिम्मे प्रतिवादी स.1 से 5**

(4) आया मंगला के वारिसान को वाद में पक्षकार नहीं बनाया जाने के कारण यह वाद चलने योग्य नहीं है?

**जिम्मे प्रतिवादी स.1 से 5**

7. आया प्रतिवादी इसी विषयवस्तु के सबंध में वादीगण द्वारा सिविल न्यायालय में प्रस्तुत वाद के विचाराधीन रहते यह वाद चलने योग्य नहीं होने से खारिज करवाने के अधिकारी है?

**जिम्मे प्रतिवादी स.1 से 5**

8. आया प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि पर वादीगण [illegible] नहीं होने और उनके द्वारा कब्जा प्राप्ति की इस्तदुआ नहीं [illegible] से भी [illegible] काबिल खारिज करवाने के अधिकारी है?

**जिम्मे प्रतिवादी स.1 से 5**

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2025.12.11 14:12:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
SDO [illegible]

9. आया प्रतिवादीगण वक्त खरीद से वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी पक्ष का ही कब्जा काश्त होने से एडवर्स पजेशन के आधार पर प्रतिवादी खातेदार बन चुके है, खातेदारी घोषित करवाने के अधिकारी है?

**जिम्मे प्रतिवादी स.1 से 5**

वादी की और से मौखिक साक्ष्य में मोडाराम पी.डब्लू–01, जोराराम पी.डब्लू–02, लालाराम पी.डब्लू–03 व राउराम पी.डब्लू–04 व खेताराम पी.डब्लू–05 को परीक्षित करवाया तथा दस्तावेज साक्ष्य में प्रदर्श EXP 1 पर्चा खतौनी ग्राम आमजर सम्वत् 2010, प्रदर्श EXP 2 ग्राम आमजर का नामान्तरकरण संख्या 10 की प्रति, प्रदर्श EXP 3 बैचान पत्र दिनांक 18.11. 1964 की प्रति, प्रदर्श EXP 4 ग्राम आमजर ना.क.स. 11 की प्रति, प्रदर्श EXP 5 ग्राम आमजर की खसरा संख्या 09 जमाबंदी सम्वत 2069 से 2072 प्रति , प्रदर्श EXP 6 ग्राम करना की खसरा संख्या 08 जमाबंदी संवत 2069 से 2072 प्रस्तुत किए गए। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से अपनी साक्ष्य में चुतराराम डी.डब्लू–01, खेराज डी.डब्लू–02, को परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श डी–1 मौका रिपोर्ट, प्रदर्श डी–2 वकालतनामा, प्रदर्श डी–3 सिविल वाद सं. 22/2014 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श डी–4 शपथ पत्र, प्रदर्श डी–5 वादी राउ द्वारा प्रतिवादी के पक्ष में हकरारनामा है, जिसकी छाया प्रति प्रदर्श डी–5ए है। प्रदर्श डी–6 बेचान, प्रदर्श डी–7 कृर्षि अनुदान की प्रति, प्रदर्श डी–8 गिरदावरी की नकले प्रस्तुत किए गए।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

वादीगण के वकील की बहस है कि वादग्रस्त भूमि का 1/2 हिस्सा अपने पुश्तैनी हक एवं कब्जा काश्त का होने के बावजूद उनके सहखातेदार मंगलाराम द्वारा समग्र वादग्रस्त भूमि का जोधाराम को बेचान करने एवं जोधाराम के फौत होने पर उसके वारिसान प्रतिवादी सं. 1 से 5 के नाम अमलदरामद होने से वादीगण वादग्रस्त भूमि का 1/2 हिस्सा अपनी खातेदारी में घोषित करवाने, मंगलाराम द्वारा अपने वास्तविक हिस्से से अधिक किये यगे बेचान को शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित करवाने तथा प्रतिवादी सं. 1 से 5 के विरूद्व अपने कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं किये जाने के आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी है।

इसके विपरीत वकील प्रतिवादी सं. 1 से 5 ने अपने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वक्त बैचान वादीगण नाबालिग होने एवं मंगलाराम के संरक्षण में रहने के कारण कर्ताखानदान की हैसियत से संयुक्त [illegible] की [illegible] के लिए वादग्रस्त भूमि का जोधाराम को बैचान किया था। वक्त [illegible] जोधाराम का एवं उनकी मृत्युपरांत उसके वारिस प्रतिवादी [illegible] भूमि पर लगातार एवं अबाद रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी राउराम [illegible] बालिग होने पर बजातेखुद एवं बहैसियत वलि वादी संख्या 2 मोडाराम ने मंगलाराम द्वारा किए गए बैचान को अपनी पूर्ण रजामंदी से किया गया बताते हुए एवं बैचान का समर्थन करते हुए इकरारनामा लिख कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2025.12.11 14:12:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
SDO [illegible]

दिया था। आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद वादीगण ने मंगलाराम को वाद में पक्षकार नहीं बनाया है। वक्त खरीद से आज दिन तक लगातार कब्जा होने के आधार पर भी एडवर्स पजेशन के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 से 5 वादग्रस्त भूमि के खातेदार बन चुके है। इसके अतिरिक्त वादीगण की इस्तदुआ वॉइड नहीं होकर वॉइडेबल होने से वाद इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं होकर सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का होने से इस न्यायालय में चलने योग्य नहीं है। स्वयं वादी राउ ने अपने अभिकथनों में बैचान अपनी पूर्ण सहमति से होने की पुष्टि की है। वादपत्र के पेरा संख्या 2 (पक्ति सं. 6 व 7 ) में भी वादीगण ने अपनी नाबालिग अवस्था होने से दौराने बैचान मंगलाराम के संरक्षण में रहने के तथ्य को स्वीकार किया है। वाद के प्रस्तुतीकरण के दौरान वादीगण की माता जीवित होने के बावजूद वादीगण की माता को पक्षकार नहीं बनाया जाने से भी वादी का वाद का काबिल खारिज है। अतः भूमि की बढ़ी हुई कीमतों के कारण लालच में आकर वादीगण ने गलत तथ्यों को आधार बनाकर यह वाद प्रस्तुत किया है। जो पक्षकारों के असंयोजन, म्याद बाहर होने, क्षेत्राधिकार विहीन होने से काबिल खारीज है, जो मय खर्चा खारिज किया जावे। वकील प्रतिवादी ने अपनी दलील के समर्थन में RRT 2011 (2) page 1170, DNJ 2013 REV page 185, CCC 2007(3) SC page 248, CCC 2012 (2) P&H-page 534, CCC 2011 (1) SC page 141, RRT 2006(2) page 966, RRT 2007 (2) page 1110, RRD 1999 page 1, RRD 1986 page 412, CCC 2008 (2) page 762 and RRT 2013(2) SC page 1329 के उद्धरण प्रस्तुत किए।

हमनें दोनों पक्षों की बहस पर मनन, पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन तथा तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में तनकीवार विवेचन किया।

**तनकी संख्या 1:–** वादीगण की ग्राम आमजर तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 9 रकबा 369–09 बीघा भूमि में 1/2 हिस्सा अपनी खातेदारी में घोषित करवाने की इस्तदुआ से संबद्ध है, जिसे सिद्ध करने का जिम्मा वादीगण पर है। राजस्व रेकर्ड के अनुसार उक्त वादग्रस्त भूमि वक्त बंदोबस्त वादीगण के पिता मदरूपा व मंगला उर्फ मगा पुत्र सालू के नाम दर्ज हुई थी। मदरूपा के फौत होने पर उसके 1/2 हिस्से का वादीगण के नाम अमलदरामद हुआ वाद पत्र के अनुसार मंगला, जो संयुक्त परिवार का मुखिया था तथा वादीगण अपनी नाबालिग अवस्था के कारण उसके संरक्षण में निवास करते थे, जिसकी पुष्टि वादपत्र के पेरा संख्या 2 (पक्ति सं. 6 व 7 ) के जरिये अभिलिखित [illegible] भी प्रस्तुत किया है। इस प्रकार संरक्षककर्ता की हैसियत से मंगला द्वारा [illegible] भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पिता–पति जोधाराम को ज[illegible] रजिस्टर्ड बैचान [illegible]। उक्त बैचान के आधार पर जोधाराम के नाम तथा जोधाराम के फौ[illegible] प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद हुआ। इस दौरान वादीगण की माता कौशली जीवित थी, जिसने अपने जीवन काल में न तो स्वयं को पक्षकार बनाए जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2025.12.11 14:12:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी

किया और न उक्त बैचान के संबंध में कभी उज एतराज ही प्रस्तुत किया। जोधाराम के जीवन काल में राउराम द्वारा जोधाराम के नाम दिए इकरारनामा प्रदर्श डी–6 में मंगलाराम द्वारा किए गए बैचान में अपनी सहमति व समर्थन होना व्यक्त किया हैं। तहसीलदार सिणधरी द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट से खसरा संख्या 8 की भूमि सहित समस्त वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का कब्जाकाश्त होने तथा उनकी पृथक–पृथक प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ढाणीयां, टांके, चारबाड़े होने की पुष्टि होती है। स्वयं वादी राउराम ने नायब तहसीलदार सिणधरी के समक्ष दिए अपने अभिकथनों में तहसीलदार सिणधरी द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट सही होना, अपने द्वारा सिविल कोर्ट में किया गया दावा खारिज होना और उस निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं किया जाना तथा प्रस्तुत इकरारनामा पर अपने अंगुष्ठ निशान होना सत्यापित किया है। उक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त समग्र भूमि पर वक्त बैचान से जोधाराम का ही कब्जा लगातार चला आ रहा है। उक्त वैचान प्रक्रिया से यदि वादीगण की माता को कोई आपत्ति होती तो वह अपने जीवन काल में सक्षम न्यायालय में चाराजोही करती। इस प्रकार वारदीगण वादग्रस्त भूमि पर अपनी दावेदारी सावित करने में विफल रहे है। लिहाजा तनकी संख्या 1 वादीगण के विरुद्ध निर्णीत की जाती हैं।

**तनकी संख्या 2 एवं 5**:– वादीगण की अपने 1/2 हिस्से के मंगला द्वारा किए गए बैचान और उसके आधार पर राजस्व रेकर्ड में हुए समस्त परिवर्तनों को शुन्य व निष्प्रभावी घोषित करवाने की इस्तदुआ से संबद्ध हैं। चूंकि तनकी संख्या 1 में वादी स्वयं को वादग्रस्त भूमि के खातेदार घोषित करवाने में विफल रहे है, प्रत्युत राउराम द्वारा दिए इकरारनामा, तहसीलदार सिणधरी की मौका रिपोर्ट एवं राउराम के अभिकथनों से मंगलाराम द्वारा निष्पादित बैचान पत्र की वैधता एवं उसकी अधिकारिता को बल मिलता है। उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि वादी द्वारा अपने वाद पत्र के पेरा संख्या 2 (पक्ति सं. 6 व 7 ) के जरिये अनिलिखित किया गया है। तथा इस संवंध में प्रतिवादी वकील द्वारा प्रस्तुत नजीर CCC 2007(3) SC page 248, CCC 2012 (2) P&H-page 534 के तथ्य चस्पा होते है। चूंकि तनकी संख्या 1 वादीगण अपने पक्ष में सावित करने में विफल रहे है। ऐसी सूरत में तनकी संख्या 2 व 5 वादीगण के विरुद्ध निर्णीत की जाती है।

**तनकी संख्या 3, 6(3) व 8**:– वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा नहीं होने तथा उनके द्वारा कब्जा प्राप्ति की इस्तदुआ नहीं चाहे जाने से वाद चलने योग्य नहीं होने के प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के प्रतिदावे से [illegible] वादीगण ने वादपत्र के पैरा संख्या 11 (ग) में वादीगण को बेदखल कि[illegible] दिलाए जाने की इस्तदुआ से संबद्ध हैं किन्तु वाद में [illegible] साक्ष्यों के अनुसार वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर कभी [illegible] नहीं है, बल्कि वक्त बैचान से केतागण का ही उक्त भूमि पर लगातार कब्जाकाश्त चला आ रहा है। ऐसी सूरत में वादीगण को बेदखल किए जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। लिहाजा तनकी संख्या 3, 6(3) व 8 वादीगण के विरुद्ध निर्णीत की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2025.12.11 14:12:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कम्प्यूटर
SDO सिणधरी

**तनकी संख्या 4**:– वादीगण की वादग्रस्त भूमि के संबंध में 1/2 हिस्से में स्थाई निषेधाज्ञा की इस्तदुआ से संबद्ध हैं। चूंकि तनकी संख्या 1 के विवेचन में वादीगण स्वयं को वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से के खातेदार घोषित करवाने में विफल रहे हैं। अतः उन्हें स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष दिए जाने का कोई औचित्य नहीं है। चूंकि तनकी संख्या 1 वादीगण अपने पक्ष में साबित करने में विफल रहे है। लिहाजा यह तनकी भी वादीगण के विरुद्ध निर्णीत की जाती है।

**तनकी संख्या 6(1)**:– प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की वाद म्याद बाहर होने की दलील से संबद्ध हैं। वाद उसी सूरत में म्याद बाहर होता है, जबकि "विनायदावा" एवं "वाद के प्रस्तुतीकरण" के मध्य एक माह से अधिक विलम्ब हुआ हो। किन्तु प्रस्तुत वाद विनायदावा के 25 दिन बाद प्रस्तुत कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में वाद को म्याद बाहर नहीं माना जा सकता। लिहाजा यह तनकी ग्राह्य नहीं होने से खारिज की जाती है।

**तनकी संख्या 6(2)**:– वाद की वॉइडेबल के आधार पर क्षेत्राधिकार विहीन होने की प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की दलील से संबद्ध है। जहां तक क्षेत्राधिकार का प्रश्न है, किसी दस्तावेज को "शून्यकरणीय" घोषित करने की शक्ति सिविल न्यायालय में निहीत होती है। और शुन्य और निष्प्रभावी घोषित करने तथा खातेदारी घोषणा का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय का होता है। प्रस्तुत वाद में वादीगण ने मंगला द्वारा किए गए बैचान एवं उसके आधार पर हुए राजस्व रेकर्ड में फेरबदलों को शुन्य एवं निष्प्रभावी घोषित किए जाने तथा वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से की अपने हक में खातेदारी घोषित करवाने की इस्तदुआ चाही है। ऐसी सूरत में वाद की विचारणीयता राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आती है। जिसके सन्दर्भ में पूर्व में प्रतिवादी वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आ. 07 नि. 11 सपठित 151 सी.पी.सी. खारिज किया जा चुका हैं। अतः यह तनकी प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के विरुद्ध निर्णीत की जाती है।

**तनकी संख्या 7**:– इसी विषयवस्तु का वाद सिविल न्यायालय में विचाराधीन होने से यह वाद खारिज योग्य होने की प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की दलील से संबद्ध है। जैसा की वादी सउराम के अभिकथनों से स्पष्ट है कि सिविल न्यायालय में विचाराधीन इसी विषय वस्तु का वाद खारिज हो चुका है। ऐसी सूरत में यह दलील वाद की विचारणीयता में आड़े नही आती है। अतः यह तनकी भी खारिज की जाती है।

**तनकी संख्या 9**:– एडवर्स पजेशन के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की खातेदारी घोषणा की अपनी पात्रता की दलील से संबद्ध [illegible] चाही है कि वक्त बैचान से वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी पक्ष का लगातार कब्जाकाश्त [illegible], किन्तु राजस्व रेकर्ड मे तब से ही उनकी खातेदारी दर्ज चली आ रही है। ऐसी सूरत में एडवर्स पजेशन की दलील इस प्रकरण पर लागू नहीं होती। लिहाजा यह तनकी भी ग्राह्य नहीं होने से खारिज की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2025.12.11 14:12:35 IST
Reason: SelfAttested

**तनकी संख्या 6(4):**— मंगला के वारिसान को पक्षकार नहीं बनाए जाने के कारण वाद काबिल खारिज होने की प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की दलील से संबद्ध है। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का यह कथन सही है कि वादग्रस्त भूमि के बैचानकर्ता मंगला एवं उसकी मृत्यु पर उसके वारिस वाद में आवश्यक पक्षकार है और उन्हें सुना जाना न्यायहित में अपरिहार्य है। उन्हें वाद में पक्षकार नहीं बनाया जाना "पक्षकारों के असंयोजन" की तारीफ में आता है। पक्षकारों के असंयोजन में वाद चलने योग्य नहीं होता। जिसके सन्दर्भ प्रतिवादी वकील द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टांत , CCC 2011 (1) SC page 141, RRT 2006(2) page 966 के तथ्य चस्पा होते है। लिहाजा तनकी संख्या 6(4) प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पक्ष में निर्णीत की जाती हैं।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मंगलाराम द्वारा किया गया वादग्रस्त भूमि का बैचान वादीगण की नाबालिग अवस्था के कारण उसके संरक्षण में रहने के दौरान तथा पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया गया था। वक्त बैचान से अपने जीवन काल में जोधाराम और उसकी मृत्यु के बाद उसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का लगातार अबाध रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। बैचान के दौरान जीवित वादीगण की माता ने अपने जीवन काल में उक्त बैचान एवं कब्जा स्थिति के संबंध में भी आपत्ति नहीं की और न इस संबंध में सक्षम न्यायालय में चाराजोही की। स्वयं वादी राउराम ने उक्त बैचान में अपनी सहमती होने के आशय का इकरारनामा भी दिया और अपने अभिकथनों में इस तथ्य की पुष्टि भी की है। वादीगण बेचानकर्ता मंगला के सरक्षंण में निवास करते है कि पुष्टि वादी स्वयं द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के पेरा संख्या 2 (पक्ति सं. 6 व 7 ) के जरिये अभिलिखित करते हुए शपथपत्र भी प्रस्तुत किया है। इस प्रकार न्याय का यह प्राकृतिक सिद्धांत है कि "स्वीकारोक्ति सर्वोत्तम सबूत होती है" (Admission is best evidience) तहसीलदार सिणधरी द्वारा मौतबरान की मौजूदगी में तैयार मौका रिपोर्ट से वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का वक्त बैचान से लगातार कब्जा होना तथा उनकी ढाणियां, टांके, चारबाड़े होना साबित है। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से प्रस्तुत न्याय दृष्टांत इस प्रकरण पर चस्पा होते है। इस प्रकार वादीगण दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वाद में वर्णित तथ्यों को साबित करने में विफल रहे है।

लिहाजा वादीगण का वाद साबित नहीं होने से एवं पक्षकारान के असंयोजन के आधार पर खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2025.12.11 14:12:35 IST
Reason: SelfAttested

([illegible] भाटी)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

सहायक कलक्टर SDO [illegible]

निर्णय आज दिनांक 26.11.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

# मूलवाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

## न्यायलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,सिणधरी

पीठासीन अधिकारी:– श्री रामदरसिंह भाटी, आर.ए.एस.

उनवान

**वादीगण** — **बनाम** — **प्रतिवादीगण**

**वादीगण**

1. राऊ पुत्र मदरूपा
2. मोडा पुत्र मदरूपा कौम निवासी आमजर तहसील सिणधरी अभी हाल भुरटिया तहसील सिणधरी

**बनाम**

**प्रतिवादीगण**

1. रूपाराम पुत्र जोधाराम
2. चुतराराम पुत्र जोधाराम
3. रामाराम पुत्र जोधाराम
4. सूराराम पुत्र जोधाराम
5. श्रीमति चम्पा पत्नि जोधाराम कौम जाट नि. आमजर तहसील सिणधरी
6. मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा भूंका बगतसिंह
7. तहसीलदार सिणधरी

दावा बाबत:– 88,91,183188,40, आर.टी.एक्ट
मुकदमा नम्बर :– 98 / 2016
निर्णय दिनांक :– 26.11.2025

वादीगण की ओर से श्री विष्णु चौधरी अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 1 से 5 की ओर से श्री मुकेश जैन अधिवक्ता, प्रतिवादी 7 के पैरोकार सरकार की उपस्थिति एवं शेष की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 26.11.2025 को श्री समदरसिंह भाटी (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर सिणधरी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है कि**:– वादीगण का वाद साबित नहीं होने से एवं पक्षकारान के असंयोजन के आधार पर खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 26.11.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर,सिणधरी

### वाद के खर्चे

| वादीगण | | प्रतिवादीगण | |
|---|---|---|---|
| | रूपया | | रूपया |
| 1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प | | 1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प | |
| 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प | | 2.अर्जी के लिए स्टाम्प | |
| 3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प | | 3.प्लीडर की फीस | |
| 4.____ आधार पर प्लीडर की फीस | | 4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय | |
| 5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय | | 5.आदेशिका की तामील | |
| 6.कमिश्नर की फीस | | 6.कमिश्नर की फीस | |
| 7.आदेशिका की तामील | | | |
| जोड़ | | जोड़ | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2025.12.11 14:12:35 IST
Reason: SelfAttested